

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र

Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-08052026-272340
SG-DL-E-08052026-272340असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 122]	दिल्ली, बुधवार, मई 6, 2026/वैशाख 16, 1948	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 35
No. 122]	DELHI, WEDNESDAY, MAY 6, 2026/VAISAKHA 16, 1948	[N. C. T. D. No. 35

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

पर्यावरण विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 4 मई, 2026

फा. सं. 10(13)/पर्या./2015/807— भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 12.03.2026 की रिट याचिका (सी) संख्या 13029/1985 (एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ) के आदेश के अनुसरण में, जिसमें वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) की पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क (ईसीसी) के संशोधन संबंधी अनुशंसाओं को अनुमोदित किया गया है तथा इस संबंध में जारी पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं का अधिक्रमण/आशोधन करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार एतद् द्वारा दिल्ली में आने वाले वाणिज्यिक वाहनों पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क (ईसीसी) में निम्नानुसार संशोधन करती है:

क्र.सं.	वाहन श्रेणी	मौजूदा दर	संशोधित दर
(i)	श्रेणी 2 (हल्के वाहन) तथा श्रेणी 3 (2 एक्सल ट्रक)	1400/- रुपये	2000/- रुपये
(ii)	श्रेणी 4 (3 एक्सल वाले ट्रक) तथा श्रेणी 5 (4 एक्सल वाले ट्रक एवं उससे ऊपर)	2600/- रुपये	4000/- रुपये

2. संशोधित ईसीसी दरें दिनांक 01.04.2026 से प्रभावी होंगी तथा उसके पश्चात् उक्त तिथि से प्रत्येक वर्ष 5% की वृद्धि की जाएगी, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार निकटतम ₹ 10 तक पूर्णांकित किया जाएगा।
3. संशोधित ईसीसी दरों के कार्यान्वयन, संग्रहण तथा प्रवर्तन तंत्र को संबंधित अधिकारियों द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप तरीके से पूरा किया जाएगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
आनंद तिवारी, विशेष सचिव (पर्यावरण)

पादटीप : पर्यावरण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा जारी पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं के संदर्भ।

- i. फा0 सं0 10(13)/पर्या0/2015/6167-6189, दिनांक 20.10.2015;
- ii. फा0 सं0 10(13)/पर्या0/2015/7400-7422, दिनांक 23.12.2015;
- iii. फा0 सं0 10(13)/पर्या0/2015/98-130/डीआईआरईएनवी/12-34, दिनांक 05.01.2016;
- iv. फा0 सं0 10(13)/पर्या0/2015/436-458, दिनांक 21.01.2016;
- v. फा0 सं0 10(13)/पर्या0/2015/2878-2900, दिनांक 26.04.2016.

DEPARTMENT OF ENVIRONMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 4th May, 2026

F. No. 10 (13)/Env/2015/807.—In pursuance of the order dated 12.03.2026 passed by the Hon'ble Supreme Court of India in W.P. (C) No. 13029/1985 (M.C. Mehta v. Union of India), whereby the recommendations of the Commission for Air Quality Management (CAQM) regarding revision of Environment Compensation Charge (ECC) have been approved, and in supersession/modification of earlier notifications issued in this regard, the Government of National Capital Territory of Delhi hereby revises the Environment Compensation Charge (ECC) on Delhi-bound commercial vehicles as under:

S. No.	Vehicle Category	Existing Rate	Revised Rate
(i)	Category 2 (Light Duty Vehicles) and Category 3 (2 Axle Trucks)	₹1400/-	₹2000/-
(ii)	Category 4 (3 Axle Trucks) and Category 5 (4 Axle Trucks and above)	₹2600/-	₹4000/-

2. The revised ECC rates shall come into effect from 01.04.2026 and shall thereafter be enhanced by 5% every year, with effect from the said date, rounded off to the nearest ₹10, in accordance with the directions of the Hon'ble Supreme Court and the recommendations of CAQM.

3. The implementation, collection and enforcement mechanism for the revised ECC rates shall be carried out by the concerned authorities in a manner consistent with the directions of the Hon'ble Supreme Court.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of National Capital Territory of Delhi,
ANAND TIWARI, Special Secy. (Environment)

Footnote: References to earlier notifications issued by the Department of Environment, GNCTD.—

- i. F.No.10(13)/Env/2015/6167-6189 dated 20.10.2015;
- ii. F.No.10(13)/Env/2015/7400-7422 dated 23.12.2015;
- iii. F.No.10(13)/Env/2015/98-130/direnv/12-34 dated 05.01.2016;
- iv. F.No.10(13)/Env/2015/436-458 dated 21.01.2016;
- v. F.No.10(13)/Env/2015/2878-2900 dated 26.04.2016.